ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने दी आर्थिक मजबूती और बहुआयामी रोजगार
(पृष्ठ – 02)

मजदूरी से स्वावलंबन तक: योजना से बदली तक़दीर
(पृष्ठ – 03)

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक: सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली जिंदगी
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जून 2025 ।। अंक – 47

सतत् जीविकोपार्जन योजना: एक पहल आत्मनिर्भरता की ओर

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई सतत् जीविकोपार्जन योजना राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में एक मील का पत्थर मानी जा सकती है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि सबसे वंचित तबकों को स्थायी आजीविका का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

1. योजना की पृष्ठभूमि और औचित्य

बिहार में जहाँ बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, वहाँ आजीविका के स्थायी साधनों की भारी कमी रही है। पूर्ण शराबबंदी के बाद अनेक परिवार, विशेषकर महादलित और अनुसूचित जाति समुदाय के लोग, जो ताड़ी और देशी शराब जैसे व्यवसायों में लगे थे, एकाएक बेरोजगार हो गए।

इस सामाजिक–आर्थिक संकट को पहचानते हुए सरकार ने सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। इसका औचित्य यह है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए केवल अनुदान नहीं, बल्कि संरचित और दीर्घकालिक आजीविका समाधान की आवश्यकता होती है।

2. योजना की प्रमुख संरचना

- **लक्षित लाभार्थी:** अत्यंत गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शराबबंदी से प्रभावित परिवार।
- लक्षित परिवारों को 2 से 3 किस्तों में अधिकतम 2,00,000 रूपये तक की पूंजीगत सहायता, जिससे स्वरोजगार प्रारंभ किया जा सके।
- **गैर–वित्तीय सहायता:** व्यवसायिक प्रशिक्षण, सीआरपी दीदी द्वारा मार्गदर्शन, बाजार से जुड़ाव, और समूह आधारित सहयोग।
- **सामुदायिक भागीदारी:** योजना का कार्यान्वयन जीविका के स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

3. योजना के प्रभाव: तथ्यात्मक और सामाजिक विश्लेषण

- आर्थिक दृष्टिकोण से
- लाभार्थियों की मासिक आय में वृद्धि देखी गई है।
- कर्ज़ पर निर्भरता में कमी आई है।
- कुछ लाभार्थी महिलाओं ने अपने उत्पादों को बाज़ार और मेलों में बेचना शुरू किया है, जिससे उनके व्यवसाय का विस्तार हुआ है।
- सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाएं पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं।
- परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च बढ़ा है।
- पारंपरिक शराब व्यवसाय से हटकर समाज की मुख्यधारा में लौटने की सकारात्मक पहल हुई है।

4. इकोसिस्टम निर्माण: केवल सहायता देना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक ऐसा आजीविका इकोसिस्टम बनाना होगा जो प्रशिक्षण, वित्त, परामर्श, विपणन और तकनीकी सहायता के सभी पहलुओं को जोड़ता हो।

5. डेटा आधारित निगरानी: लाभार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की सामाजिक न्याय आधारित सोच का प्रतिबिंब है, जो यह मानती है कि विकास तभी संभव है जब सबसे पिछड़े और वंचित लोग भी उसमें सहभागी बनें। यह योजना उन गरीब परिवारों को केवल जीविका नहीं देती, बल्कि उन्हें सम्मान, पहचान और सामाजिक स्वीकृति भी दिलाती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने दी आर्थिक मजबूती और बहुआयामी रोजगार

मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत बंगलवा पंचायत के करैली गांव की उषा देवी, जो कभी अत्यंत गरीब स्थिति में जीवन बिता रही थीं। दीदी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। उनके पति किराए पर ऑटो चलाते थे, जिससे परिवार का भरण–पोषण मुश्किल से हो पाता था। दीदी के पास न तो कोई बचत थी और न ही कोई स्थायी आमदनी का साधन। आवश्यकताओं के समय उन्हें महाजनों से 10 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था और समय पर चुकता न करने पर अपमान भी सहना पड़ता था।

वर्ष 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देशी शराब व्यवसायी और अति निर्धन परिवारों की पहचान की जा रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन और द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना में उनका चयन किया गया। तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के बाद उन्होंने बाँस के उत्पाद बनाने और दुकान खोलने की इच्छा जताई।

उन्हें पहले चरण में 10,000 रूपये रुपये की विशष निवेश निधि से दुकान के निर्माण में सहयोग मिला। जिसके बाद 20,000 रूपये जीविकोपार्जन निवेश निधि दी गई। साथ ही, बाँस उत्पादक समूह से प्रशिक्षण भी मिला। उन्होंने कच्चा बाँस खरीदकर सुप, डलिया आदि बनाना शुरू किया। स्थानीय ग्राहक उनकी दुकान से सामान खरीदने लगे। इसके अलावा उन्हें सात माह तक प्रतिमाह 1,000 रूपये जीविकोपार्जन अतंराल राशि भी दी गई।

वर्तमान में वे कई तरह के आजीविका साधन – बाँस उत्पाद, साज–सज्जा की दुकान और मुर्गी पालन, बकरी पालन कर रही हैं, जबकि उनके पति ई–रिक्शा चला रहे हैं। अब उनके परिवार हर माह लगभग 20,000 रूपये कमा रहा है और सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सशक्त हुई दीदी की कहानी

जमुई जिले के लोहड़ा गांव की सरिता देवी ने अपने पति की असमय मृत्यु के बाद अकेले ही अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाई। दो छोटे बच्चों की परवरिश के साथ–साथ आर्थिक चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की ठानी। पहले वह ताड़ी के पारंपरिक कारोबार से जुड़ी थीं, लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया।

18 अगस्त 2020 को योजना से जुड़ने के बाद उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के पहली किस्त के रूप में कुल 37,000 रूपये की परिसंपत्ति प्रदान की गई। बाद में उनके व्यवसाय में सुधार और विस्तार को देखते हुए उन्हें दूसरी किस्त के रूप में 27,000 रूपये की अतिरिक्त सहायता भी मिली। इस राशि का उपयोग उन्होंने बकरी पालन और श्रृंगार दुकान के विस्तार में किया।

अब वह बकरी पालन और श्रृंगार दुकान के जरिए प्रति माह लगभग 6,000 रूपये की आमदनी अर्जित कर रही हैं। यह आमदनी उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है।

सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय निर्माण, बीमा, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ भी उन्हें मिला है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आई है। आज उनकी कुल संपत्ति 85,000 रूपये तक पहुंच चुकी है।

सरिता देवी ने अपनी मेहनत, इच्छा आक्ति और सरकारी सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को संवारते हुए गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। उनकी यात्रा यह बताती है कि सही मार्गदर्शन और सहयोग से कोई भी महिला अपने जीवन को सशक्त बना सकती है।

मजदूरी से स्वावलंबन तक: योजना से बदली तक़दीर

नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के एक महादलित परिवार की पानो देवी, जो पहले दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालती थीं, आज खुद की किराना दुकान की मालकिन हैं। उनके पति को लकवे की वजह से काम करने में असमर्थता हो गई थी, जिससे पूरा भार उनके कंधों पर आ गया। न खेती की ज़मीन थी, न ही कोई स्थायी आमदनी का जरिया।

वर्ष 2018 में जब सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत हुई, तो महागौरी जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा उनका चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया। इसके बाद उन्हें विशेष निवेश निधि 10,000 रूपये जीविकोपार्जन अंतराल सहायता 7,000 रूपये और जीविकोपार्जन निवेश निधि 20,000 रूपये की सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत अब तक उन्हें कुल 1,01,800 की आर्थिक सहायता मिली है।

इस सहयोग से उन्होंने किराना दुकान की शुरुआत की और साथ ही बकरी पालन भी शुरू किया। आज उनकी मासिक आय 8,000 रूपये से अधिक है। पहले जो रोजी–रोटी के लिए दर–दर भटकती थी, आज वह आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं।

यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिला है। पहले जो महिला समाज में उपेक्षित थी, आज वह आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना उनके लिए एक वरदान साबित हुई, जिसने उन्हें गरीबी के अंधेरे से निकालकर आत्मनिर्भरता की रौशनी तक पहुँचाया।

यह प्रेरणादायक कहानी बताती है कि जब सरकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, तो वह न केवल एक परिवार, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देने का काम करती हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली नई उड़ान

रीना देवी भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड अन्तर्गत जगरिया पंचायत स्थित केशोपुर गांव की रहने वाली है। इनके लिए सतत् जीविकोपार्जन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। एक समय था जब वह बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं। परिवार की स्थिति बेहद दयनीय थी और जीविकोपार्जन का कोई स्थायी साधन नहीं था। बच्चों की पढ़ाई, दवाई और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौती बन गया था। ऐसे कठिन समय में उन्हें जीविका ने सहारा दिया।

रीना देवी दिसंबर 2018 में छाया जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं। इससे उन्हें अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा मिली। इसी बीच बिना पानी जीविका महिला ग्राम संगठन ने उनकी कठिन परिस्थिति को देखते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा। योजना के तहत उन्हें पहले प्रशिक्षण प्रदान किया गया और फिर ग्राम संगठन के माध्यम से शुरुआती दौर में 37,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस निधि से रीना देवी ने सबसे पहले किराना दुकान शुरू की। दुकान के परिचालन में उन्हें मास्टर रिसोर्स पर्सन का पूरा सहयोग मिला। इससे उन्होंने दुकान चलाने का हुनर सीख लिया। अब वह इस दुकान का संचालन वह पूरी लगन से कर रही हैं। दुकान की आय से उन्होंने न केवल अपने घर–परिवार की जरूरतों को पूरा किया, बल्कि धीरे–धीरे सिलाई मशीन और बकरी पालन जैसे अतिरिक्त व्यवसाय भी शुरू किया है। इन व्यवसायों से आज रीना देवी हर माह 6,000 से 7,000 रुपये तक आय अर्जित कर रही है। वह न केवल अपने परिवार का भरण–पोषण सम्मानजनक ढंग से कर पा रही हैं, बल्कि धीरे–धीरे अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा रही हैं। इससे उन्हें परिवार चलाने में राहत मिली और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

रीना देवी अब अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उचित मार्गदर्शन, योजनाबद्ध वित्तीय सहायता और इच्छाशक्ति के बल पर कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। सतत् जीविकोपार्जन योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाई।

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक:

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली जिंदगी

बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत घुठिया गांव की ललिता देवी, जो बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती हैं, ने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बनने की मिसाल कायम की है। पति और तीन बच्चों के साथ उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, जब तक कि साल 2017 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। परिवार की आजीविका के लिए उनके पति पुणे गए थे, लेकिन वहां एक निर्माणस्थल पर दीवार गिरने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। यह हादसा न सिर्फ भावनात्मक रूप से पीड़ादायक था, बल्कि पूरे परिवार के लिए भारी आर्थिक संकट लेकर आया।

पति के निधन के बाद घर चलाना और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालना बेहद कठिन हो गया। छोटी बेटी की शादी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। इस कठिन समय में उन्होंने और उनकी बेटी ने दूसरों के घरों में काम करके जैसे–तैसे गुजर–बसर शुरू किया। वर्ष 2018 में वह जीविका समूह से जुड़ गई। जीविका समूह की लगातार सहायता ने उन्हें हिम्मत दी और टूटने से बचाया।

वर्ष 2021 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत "ज्वाला जीविका महिला ग्राम संगठन" द्वारा किए गए सर्वेक्षण में उनकी स्थिति को देखते हुए योजना में उनका चयन किया गया। इसके बाद उन्हें कुल 37,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें 10,000 रूपये विशेष निवेश निधि, 7,000 रूपये जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि और 20,000 रूपये जीविकोपार्जन निवेश निधि शामिल था। इस राशि से उन्होंने एक छोटी किराना दुकान शुरू की। शुरुआत में दुकान से 300–500 की दैनिक बिक्री होने लगी, जिससे वे धीरे–धीरे हर दिन 5–10 रूपये बचत भी करने लगीं।

छह महीने के भीतर उनकी संपत्ति 43,000 रूपये तक पहुँच गई। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ–साथ उन्होंने बकरी पालन में भी कदम रखा और 9,000 रूपये की लागत से तीन बकरियां खरीदीं। इसके बाद उन्होंने एक देहाती गाय भी खरीदी, जो तीन महीने के भीतर बछड़े को जन्म दी। अब उन्हें दूध बेचने से भी आय होने लगी। वर्तमान में उनके पास 7 बकरियां और 1 खस्सी हैं, जिनकी देखभाल से उन्हें नियमित आमदनी होती है।

आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 99,800 रूपये हो चुकी है, जिसमें उनकी किराना दुकान में 60,850 रूपये, बकरी पालन में 19,000 रूपये और खेती में 20,000 रूपये की संपत्ति शामिल है। साथ ही, उन्हें जीविका के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला, जैसे राशन कार्ड, विधवा पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, वोटर कार्ड, श्रम कार्ड और जल–नल योजना। ये योजनाएं उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में बेहद सहायक रहीं।

अब वह न केवल किराना दुकान चला रही हैं, बल्कि बकरी और गाय पालन तथा खेती और किचन गार्डन से भी आय अर्जित कर रही हैं। उनका बेटा वर्ष 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है और अब इंटर में पढ़ाई कर रहा है। अपने बेटा की शिक्षा को जारी रख पाना, उनके लिए एसजेवाई योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

भविष्य को लेकर उनकी योजना स्पष्ट है, वे अपने व्यवसाय को और विस्तार देना चाहती हैं ताकि अपने परिवार को और मजबूत आर्थिक आधार दे सकें। सतत् जीविकोपार्जन योजना को वे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला अवसर मानती हैं।

यह कहानी इस बात की प्रेरक मिसाल है कि यदि सही समय पर मार्गदर्शन और सहयोग मिले, तो कोई भी महिला कठिन से कठिन हालात से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकती है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार